कार्यालय– अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत) निवारण फोरम, जगदलपुर
छ0स्टे0पा0डिस्ट्री0कं0लि0, का क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, द्वितीय तल,
वन विद्यालय के सामने, गीदम रोड, जगदलपुर (छ0ग0) पिनकोडः–(494–001)

विषयः– विद्युत कनेक्शन में नाम परिवर्तन के संबंध में।

प्रकरण क्रमांकः–
"जगदलपुर / 13 / 2026"

श्री त्रिवेणी दत्त मिश्रा, ...आवेदक
S/o दिवाकर, ग्रामः– कोरर
मो0नं0 9340538193

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा0 / संधा0) संभाग, ...अनावेदक
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,
भानुप्रतापपुर (छ.ग.)

आदेश

(आज दिनांक 06–05–2026 को पारित किया गया)

(1) आवेदक का ऑनलाईन शिकायत दिनांक 13.03.2026 यह है कि :–

Respected Sir, Shubham Mishra Sir, I had applied for change of name in 2020 in electricity office corer and they said that the name will be changed in 1-2 months and in between I went many times and every time I was told that it is in the process and sir it is 2026 till date, if the name has not been changed then respected sir, you are requested to take action on my complaint as soon as possible. Thank you respected sir.

(2) यह कि अनावेदक कार्यपालन अभियंता (संचा0 / संधा0) संभाग, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, भानुप्रतापपुर ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांकः 179 दिनांक 17.04. 2026 के माध्यम से फोरम को सूचित किया कि :–

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से ग्राम कोरर निवासी श्री शुभम मिश्रा, के द्वारा दिनांक 13.03.2026 को उपभोक्ता फोरम में दर्ज प्रकरण क्रमांक 13–2026 जिसमें बी0पी0क्र0 1000588190 स्व0 श्री त्रिवेणी दत्त मिश्रा के नाम पर विद्युत कनेक्शन को श्री प्रमोद मिश्रा के नाम पर नाम परिवर्तन कराने हेतु दिनांक 06.10.2020 को ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन किया गया था। उपभोक्ता का नाम परिवर्तन नहीं होने पर उपभोक्ता फोरम में दर्ज प्रकरण के संबंध में जवाबदावा प्रत्युत्तर चाही गयी है।

जवाबदावा में उल्लेख है कि, कार्यपालन अभियंता (सं0/सं0) संभाग, भानुप्रतापपुर ने कार्यालय के पत्र क्रमांक 144 दिनांक 16.04.2026 के तहत कनिष्ठ यंत्री वितरण केन्द्र कोरर को बी0पी0क्र0 1000588190 का नाम परिवर्तन आवेदन के संबंध में जानकारी चाही गयी थी। कनिष्ठ यंत्री वितरण केन्द्र कोरर के द्वारा पत्र क्रमांक 25 दिनांक 17.04.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्री त्रिवेणी दत्त मिश्रा पिता श्री दिवाकर बी0पी0क्र0 1000588190 का नाम परिवर्तन का आवेदन दिनांक 06.10.2020 को ऑनलाईन के माध्यम से पोर्टल में रजिस्टर्ड किया गया था जिसकी जानकारी वितरण केन्द्र कोरर को नहीं थी एवं उक्त अवधि में उपभोक्ताओं की ऑनलाईन आवेदन संबंधी कार्यवाही की प्रक्रिया की सुविधा उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण उपभोक्ता का ऑनलाईन आवेदन संबंध में कार्यवाही नहीं किया गया। उपभोक्ता फोरम में दर्ज प्रकरण एवं इस कार्यालय द्वारा जानकारी देने पर वितरण केन्द्र कोरर द्वारा ऑनलाईन पोर्टल की जांच करने पर उपभोक्ता स्व0 श्री त्रिवेणी दत्त मिश्रा ग्राम कोरर का बी0पी0क्र0 1000588190 को श्री प्रमोद मिश्रा के नाम पर दिनांक 06.10.2020 को ऑनलाईन के माध्यम से नाम परिवर्तन का आवेदन किया जाना पाया गया परन्तु नाम परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं पाया गया।

कनिष्ठ यंत्री वितरण केन्द्र कोरर द्वारा नाम परिवर्तन कराये जाने संबंध में की गई उपभोक्ता फोरम में दर्ज प्रकरण एवं नाम परिवर्तन के संबंध में ऑनलाईन के माध्यम से किये गये आवेदन एवं दस्तावेजों मांग/जमा करने की जानकारी प्राप्त करने पर शिकायतकर्ता द्वारा दूबारा आवेदन एवं दस्तावेज जमा नहीं किये जाने की बात कही गयी जिसके आधार पर वितरण केन्द्र के समस्त कार्यालयीन दस्तावेजों का जांच/अवलोकन करने पर आवेदक द्वारा नाम परिवर्तन हेतु औपचारिकताऐं यथा आवेदन शुल्क एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुई। उपभोक्ता द्वारा नाम परिवर्तन करवाने संबंध में आवेदन एवं शुल्क सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करने पर नाम परिवर्तन की कार्यवाही किया जा सकता था। आपके द्वारा चाही गयी बिन्दुओं पर जानकारी निम्नानुसार प्रेषित् है।

01 हाँ प्रकरण का निपटारा किया जा सकता है।

02 आवेदक द्वारा नाम परिवर्तन की कार्यवाही हेतु कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण नहीं करने पर शिकायत का निपटारा नहीं किया जा सकता है।

03 प्रकरण से संबंधित कनिष्ठ यंत्री वितरण केन्द्र कोरर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की मूलप्रति के साथ दस्तावेज संलग्न है।

अतः उक्त प्रकरण संबंध में सहपत्र एवं शपथ पत्र संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित् है।

(3) यह कि, दिनांक 30.04.2026 दिन गुरूवार समय 12:00 बजे सुनवाई में अनावेदक प्रभारी कार्यपालन अभियंता (संचा0/संधा0) संभाग, छ0स्टे0पॉ0डि0कं0लि0, भानुप्रतापपुर श्री गजानन देवांगन एवं श्री उतम कुमार यदु, सहायक अभियंता (उपसंभाग), छ0स्टे0पॉ0डि0कं0लि0, भानुप्रतापपुर उपस्थित हुए। आवेदक श्री शुभम मिश्रा सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।

उक्त सुनवाई के दौरान श्री गजानन देवांगन कार्यपालन अभियंता (संचा0/संधा0) संभाग, भानुप्रतापपुर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण पर निम्नानुसार जानकारी दी गईः—

उक्त प्रकरण में जवाबदावा के माध्यम से प्रकरण की कार्यवाही की विस्तृत जानकारी फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें ऑनलाईन कार्यवाही हेतु 06.10.2020 को प्रकरण दर्ज किया गया था जिसका निराकरण 13.03.2026 तक नहीं किया जा सका जिसके कारण माननीय फोरम के समक्ष यह प्रकरण प्रस्तुत हुई। इस प्रकरण में ऑनलाईन आवेदन दिनांक 06.10.2020 को प्रमोद मिश्रा के नाम से किया गया था जिसका निराकरण नहीं किया जा सका है पुनः दिनांक 12.03.2026 को श्री शुभम मिश्रा द्वारा उक्त कनेक्शन को स्वयं के श्री शुभम मिश्रा के नाम से परिवर्तीत करने हेतु दिनांक 27.04.2026 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन पत्र के साथ सहमति पत्र स्व0 श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा की धर्मपत्नि श्रीमती फूलकुमारी मिश्रा द्वारा दी गई है। नाम परिवर्तन हेतु आवश्यक प्रक्रिया अनुसार डिमांड नोट रू0 100/— की जारी की गई थी जिसका भुगतान ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 28.04.2026 को किया गया है। उक्त नाम परिवर्तन श्री शुभम मिश्रा के नाम पर माह अप्रैल'2026 भुगतान माह मई'2026 में कर दिया जावेगा। उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत भुगतान की रसीद प्रस्तुत है। नाम परिवर्तन हेतु की गई कार्यवाही SAP का प्रति प्रस्तुत है।

(4) फोरम के निष्कर्ष — उभय पक्षों के मौखिक एवं लिखित तर्कों के अवलोकन उपरांत फोरम के संज्ञान में ज्ञात निष्कर्ष निम्नानुसार है :—

(i) यह कि, प्रकरण में उपभोक्ता स्व0 श्री त्रिवेणी दत्त मिश्रा पिता स्व0 श्री दिवाकर के नाम पर विद्युत कनेक्शन बी0पी0क्र0 1000588190 को श्री प्रमोद मिश्रा पिता स्व0 श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा के नाम पर परिवर्तन हेतु ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 06.10.2020 को आवेदन रजिस्टर्ड किया गया था। जिसका निराकरण विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 13.03.2026 तक नहीं

Chitra

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जगदलपुर

किया गया। स्व0 श्री त्रिवेणी दत्त मिश्रा के पुत्र स्व0 श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा है जिनका स्वर्गवास हो चुका है।

(ii) यह कि, आवेदक श्री शुभम मिश्रा द्वारा पुनः उक्त कनेक्शन को स्वयं के नाम श्री शुभम मिश्रा के नाम पर परिवर्तीत करने हेतु दिनांक 27.04.2026 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन पत्र के साथ सहमति पत्र स्व0 श्री त्रिवेणी दत्त मिश्रा के पुत्र स्व0 श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा की धर्मपत्नि श्रीमती फूलकुमारी मिश्रा द्वारा दी गई है। शुभम मिश्रा श्री प्रमोद मिश्रा के पुत्र है एवं प्रमोद मिश्रा स्व0 श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा के पुत्र है। नाम परिवर्तन हेतु आवश्यक प्रक्रिया अनुसार डिमांड नोट रू0 100/– की जारी की गई थी जिसका भुगतान संबंधित आवेदक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 28.04.2026 को कर दिया गया है।

(iii) यह कि, प्रकरण में दिनांक 30.04.2026 को सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा बताया गया है कि उक्त नाम परिवर्तन श्री शुभम मिश्रा के नाम पर माह अप्रैल'2026 का भुगतान माह मई'2026 में कर दिया जावेगा।

(5) फोरम का निर्णय – आवेदक एवं अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित तथ्यों एवं दस्तावेजों के अध्ययन/विवेचन से फोरम इस निर्णय पर पहुंचता है कि :–

(i) यह कि, प्रकरण में अनावेदक कार्यपालन अभियंता (संचा0/संधा0) संभाग, छ0स्टे0पॉ0डि0कं0लि0, भानुप्रतापपुर को फोरम निदेर्शित करता है कि स्व0 श्री त्रिवेणी दत्त मिश्रा पिता स्व0 श्री दिवाकर के नाम पर विद्युत कनेक्शन बी0पी0क्र0 1000588190 को श्री शुभम मिश्रा के नाम पर माह अप्रैल'2026 का भुगतान माह मई'2026 में परिवर्तन कर पालन प्रतिवेदन फोरम कार्यालय जगदलपुर को उपलब्ध करावें।

(6) आदेश पारित।

(7) प्रकरण निराकृत।

(8) यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिवस के भीतर **माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर रायपुर (छ0ग0)** में अपील कर सकता है।

(चित्रा खत्री)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर

(पीयूष राम साहू)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर